संख्या-11/2023/62/26-3-2023

प्रेषक

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

राज्य मद्यनिषेध अधिकारी

उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 06 जनवरी 2023

विषय:-क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थाख अधिकारी कार्यालय आगरा हेतु किराये पर लिये गये भवन के किराया निर्धारण के सम्बधन्धो में।

महोदयए

उपर्युक्तर विषयक आपके पत्र संख्या.2775 पी0पी0ध्26.48ध्2005ए दिनांक.13.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यकक विचारोपरांत शासनादेश संख्या.ए.2.1092ध्दस.2011.24;7द्धध् 95ए दिनांक.25ण्11ण्2011 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धोंख तथा वित्ती य नियमों के अधीन जनपद.आगरा में क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्था5न अधिकारीए आगरा के कार्यालय भवन संख्या.39ध्42एध्1ए पुरानी ईदगाह कालोनी हेतु जिलाधिकारीए आगरा के पत्रांक.467ध्भ0जि0अ0 ;ना0आ0द्धध्ीडरध्21ए दिनांक.13ण्12ण्2021 द्वारा निर्धारित रू0.18ण्00 प्रति वर्ग की दर से कुल कारपेट एरिया 1000ण्75 वर्गफीट हेतु धनराशि रू0.18013ण्50ध्. प्रतिमाह की दर से शासनादेश निर्गत किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष के लिये किराये पर लिये जाने की राज्यिपाल महोदय सहर्ष स्वी कृति निम्नेलिखित शर्तों एवं प्रतिबंन्धोंक के अधीन प्रदान करते हैंरू.

;1द्ध. उक्तरू भवन के किराये की अवधि अनुबन्धत के अनुसार 05 वर्ष होगी।

;2द्ध. किराये की स्वीभकृति की सूचना नगर निगम आगरा को भी दे दी जाय।

;3द्ध. उक्तय भवन का गृह कर भवन स्वानमीध्स्वामिनी द्वारा वहन किया जायेगा।

;4द्ध. उक्तय भवन के किराये की अवधि अनुबन्धग नोटरी द्वारा प्रमाणित भवन का हलफनामा राज्यर मद्यनिषेध अधिकारीए उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ द्वारा प्राप्त कर लिया जाय।

2. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्य य चालू वित्तीनय वर्ष 2022.23 के आय.व्यनयक में अनुदान संख्या.80 के लेखाशीर्षक.2235.सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण.02.समाज कल्यानण.105.नशाबंदी.04.मण्डलीय कार्यालय की मद.17.किरायाए उपशुल्कद और कर स्वामित्वर के नामे डाल जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यह आदेश वित्ता ;लेखाद्ध अनुभाग.2 के शासनादेश संख्याक. ए.2.1092ध्दस.2011.24;7द्धध् 95ए दिनांक.25ण्11ण्2011 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीयए

डॉ0 रमेश चन्द्रे तिवारी
उप सचिव ।

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यद्धक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू.

1. महालेखाकार ;लेखा एवं हकदारीद्ध प्रथमए उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार ;लेखा परीक्षाद्ध प्रथमए उ0प्र0 प्रयागराज।
3. जिलाधिकारीए आगरा।
4. कोषाधिकारीए आगरा।
5. वित्ति ;व्याय.नियंत्रणद्ध अनुभाग.4ए उ0प्र0 शासन।
6. वित्ति ;लेखाद्ध अनुभाग.2ए उ0प्र0 शासन।
7. अधिशासी अधिकारीए नगर निगमए आगरा।
8. क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारीए आगरा।
9. भवन स्वायमिनी द्वारा राज्यअ मद्यनिषेध अधिकारीए उ0प्र0।
10. गार्डफाइल।

आज्ञा से

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।